अनुदान संख्या 70 – कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
GRANT No. 70 - MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*4,49,00*	*12,24*	*-4,36,76*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*4,29,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1266,60,00	1463,32,00	1422,57,02	-40,74,98
पूरक	Supplementary	196,72,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				23,85,85
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*2,00,00*	*18,22,00*	*11,22,10*	*-6,99,90*
पूरक	*Supplementary*	*16,22,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*6,99,90*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	149,91,00	157,31,00	98,64,88	-58,66,12
पूरक	Supplementary	7,40,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				55,93,15

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अतंर्गत हुईः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2062"श	Major Head "2062"				
सर्तकता	Vigilance				
मू.	*O.*	*379.00*	..	..	..
पु.	*R.*	*-379.00*			

(I) *₹ 379.00 लाख* का *विनियोग* "लोकपाल – स्थापना" के अंतर्गत एक मामले में लोकपाल शुरु न होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹379.00 lakhs* remained wholly unutilized in one case under "Lokpal - Establishment" - due to non-commencement of Lokpal.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत *₹57.76 लाख* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 83 प्रतिशत थीं।

(II) Under one head saving of *₹57.76 lakhs* occurred constituting 83 percent of the sanctioned *appropriation*.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹4074.98 लाख) जुलाई, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹19672.00 लाख के पूरक अनुदान का 21 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹4074.98 lakhs) constituted 21 percent of the supplementary grants of ₹19672.00 lakhs obtained in July, 2017 and March, 2018 and 3 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	12201.00			
पू.	S.	185.00	11642.47	11339.98	-302.49
पु.	R.	-743.53			
मुख्य शीर्ष "2051"	Major Head "2051"				
लोक सेवा आयोग	Public Service Commission				
मू.	O.	19731.00			
पू.	S.	15214.00	34868.48	34811.91	-56.57
पु.	R.	-76.52			
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	59896.00			
पू.	S.	2799.00	63145.54	62266.38	-879.16
पु.	R.	450.54			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	25429.00			
पू.	S.	824.00	23999.66	23789.72	-209.94
पु.	R.	-2253.34			

(I) ₹75.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹75.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किए गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहा:–

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय" – ₹11996.60 लाख के मूल प्रावधान को ₹185.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹12181.60 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹957.19 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण हुई।

(A) Major Head "2052" - "Secretariat - Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions" - the original provision of ₹11996.60 lakhs was augmented to ₹12181.60 by obtaining supplementary grant of ₹185.00 lakhs. However, there was a saving of ₹957.19 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts.

(खा) मुख्य शीर्ष "2055" – "अन्य व्यय – विभागीय कैंटीन" – ₹181.30 लाख के मूल प्रावधान को ₹28.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹209.30 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹39.67 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) वेतन और चिकित्सा व्ययों संबंधी कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) Major Head "2055" - "Other Expenditure - Departmental Canteens" - the original provision of ₹181.30 lakhs was augmented to ₹209.30 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹28.00 lakhs. However, there was a saving of ₹39.67 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards salaries and medical expenses.

(गा) मुख्य शीर्ष "2070" – "प्रशिक्षण – सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान" – ₹2945.60 लाख के मूल प्रावधान को ₹624.14 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3569.74 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹1720.02 लाख बचत (सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सीधी भर्ती द्वारा भर्ती हुए सहायक अनुभाग अधिकारी और आशुलिपिक के लिए समावेशन प्रशिक्षण का आयोजन न किए जाने के कारण हुई।

(C) Major Head "2070" - "Training - Institute of Secretariat Training and Management" - the original provision of ₹2945.60 lakhs was augmented to ₹3569.74 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹624.14 lakhs. However, there was a saving of ₹1720.02 lakhs (including supplementary grant) - due to non-conduction of induction training in respect of Direct Recruit Assistant Section Officers and Stenographers.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किए गए पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णरूप से अप्रयुक्त रहा।

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2051" – "कर्मचारी चयन आयोग – स्थापना" – ₹19673.25 लाख के मूल प्रावधान को ₹15214.00 लाख का पूरक अनुदान को प्राप्त करके बढ़ाकर ₹34887.25 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹125.48 लाख की सीमा तक स्वच्छता मिशन, प्रकाशन और लघु कार्यों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "2051" - "Staff Selection Commission - Establishment" - the original provision of ₹19673.25 lakhs was augmented to ₹34887.25 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹15214.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹125.48 lakhs - due to requirement of less funds towards swacchta mission, publication and minor works.

(खा) मुख्य शीर्ष "2055" – "आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता – केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो" – ₹59714.70 लाख के मूल प्रावधान को ₹2771.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त

(B) Major Head "2055" - "Criminal Investigation and Vigilance - Central Bureau of Investigation" - the original provision of ₹59714.70

करके बढ़ाकर ₹62485.70 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹388.95 लाख की सीमा तक छुट्टी प्रतिपूरक भत्ता और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष "2070" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "प्रशिक्षण" –

(क) "अन्य प्रशिक्षण स्कीमें" – ₹867.28 लाख की बचत (₹9095.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कम किए जाने और कम विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अवसंरचना का सुधार और एलबीएसएनएए पर आवश्यक सुविधाओं का उन्नयन" – ₹100.55 लाख की बचत (₹0.44 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1700.44 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय" –

(क) "कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की योजना स्कीम" – ₹112.89 लाख की बचत (₹650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रशिक्षण कार्यकलापों और कार्यशालाओं का आयोजन किए जाने के कारण हुई।

(ख) "प्रशासनिक सुधार विभाग की योजना स्कीम" – ₹791.86 लाख की बचत (₹3253.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना के अंतर्गत कार्यकलाप कम किए जाने और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

lakhs was augmented to ₹62485.70 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2771.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹388.95 lakhs - due to late approval of Holiday compensatory allowance and requirement of less funds by Central Public Works Department.

(IV) Under Major Head "2070" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Training" -

(a) "Other Training Schemes" - saving of ₹867.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9095.00 lakhs) was due to conduction of less training programmes and finalization of less foreign training programmes.

(b) "Improvement of Infrastructure and upgradation of essential facilities at LBSNAA" - saving of ₹100.55 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1700.44 lakhs including token supplementary grant of ₹0.44 lakh) was due to requirement of less funds by National Centre for Good Governance.

(B) "Other Expenditure" -

(a) "Plan Scheme of Department of Personnel and Training" - saving of ₹112.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹650.00 lakhs) was due to conduction of less training activities and workshops.

(b) "Plan Scheme of Department of Administrative Reforms" - saving of ₹791.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3253.00 lakhs) was due to reduced activities under the project and receipt of less proposals from the State Governments/Union Territories.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹62.91 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक थीं।

(V) Under one head saving of ₹62.91 lakhs occurred constituting more than 10 percent of the sanctioned provision.

3. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1224.76 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्ष "2070" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

3. The above savings were partly (₹1224.76 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "2070" - under the following heads:-

(I) "प्रशिक्षण – लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी" – ₹648.76 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹643.95 लाख था।

(I) "Training - Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration" - ₹648.76 lakhs. Actual excess, however, was ₹643.95 lakhs.

(II) "अन्य व्यय" –

(II) "Other Expenditure" -

(का) "सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड" – ₹86.33 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹70.35 लाख था।

(A) "Public Enterprises Selection Board" - ₹86.33 lakhs. Actual excess, however, was ₹70.35 lakhs.

(खा) "केन्द्रीय सूचना आयोग" – ₹489.67 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹477.93 लाख था।

(B) "Central Information Commission" - ₹489.67 lakhs. Actual excess, however, was ₹477.93 lakhs.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*₹699.90 लाख*) मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए *₹1622.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 43 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 38 प्रतिशत थीं।

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings (*₹699.90 lakhs*) constituted 43 percent of the supplementary *appropriation* of *₹1622.00 lakhs* obtained in March, 2018 and 38 percent of the total sanctioned *appropriation*.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “7601”	Major Head “7601”				
राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	Loans and Advances to State Governments				
मू.	*O.*	*150.00*			
पू.	*S.*	*1622.00*	*1122.10*	*1122.10*	..
पु.	*R.*	*-649.90*			

(I) *₹ 50.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of ₹ 50.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – गृह निर्माण अग्रिम – अखिल भारतीय सेवा अधिकारी” – *₹ 150.00 लाख* के मूल *विनियोग* को *₹ 1622.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *₹ 1772.00 लाख* कर दिया गया, तथापि, जो *₹649.90 लाख* की सीमा तक गृह निर्माण अग्रिम के लिए राशि की पात्रता से संबंधित व्यय विभाग से लंबित स्पष्टीकरण प्रस्तावों के मूर्त रूप न लिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) Under “Centrally Sponsored Schemes - House Building Advance - All India Service Officers” - the original *appropriation* of *₹150.00 lakhs* was augmented to *₹ 1772.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹ 1622.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *₹ 649.90 lakhs* - due to non-materialization of proposals pending clarification from Department of Expenditure regarding amount of entitlement of House Building Advance.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹5866.12 लाख) जुलाई, 2017, दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹740.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत थीं।

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹5866.12 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹740.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 and constituted 37 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

Savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	9596.00	5489.21	5342.69	-146.52
पु.	R.	-4106.79			
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public works				
मू.	O.	5395.00	4648.64	4522.19	- 126.45
पू.	S.	740.00			
पु.	R.	-1486.36			

(I) मुख्य शीर्ष "4055" – "अन्य व्यय – केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो" के अंतर्गत ₹4253.31 लाख की बचत (₹9596.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र और अन्य विविध कार्यकलापों संबंधी प्रस्तावों का अंतिम निर्णय न लिए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4055" - "Other Expenditure - Central Bureau of Investigation" - saving of ₹4253.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9596.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals in respect of International Centre for Excellence in Investigation and other various activities.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(II) Under Major Head "4059" - savings occurred under the following heads:-

(का) "कार्यालय भवन – निर्माण – केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के विभिन्न न्यायपीठों के लिए भवन का निर्माण और भूमि की खरीद" – ₹990.17 लाख की बचत (₹1178.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण न्यायपीठों को आवंटित भूमि के संबंध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(A) "Office Buildings - Construction - Purchase of Land and Construction of Building for various benches of CAT" - saving of ₹990.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1178.00 lakhs) was due to non-receipt of complete proposals from Central Public Works Department in respect of allotted lands of various CAT Benches.

(खा) "सामान्य – निर्माण – लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी" – ₹571.86 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2471.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को पूंजीगत से राजस्व भाग को अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(B) "General - Construction - Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration" - saving of ₹571.86 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2471.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to transfer of Scheme from Capital to Revenue Section.